# LEGISLATIVE ASSEMBLY
# NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
## Bulletin Part-I
### (Brief summary of proceedings)
### Wednesday, 18 January 2023 / 28 Paush 1944 (Shaka)

**No. 34**
**11.06 AM**

**Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair**

1. 11.07 AM **Special Mention (Rule-280):**
The following Hon'ble Members raised matters under Rule-280 with the permission of the Chair:
   1. Shri Rajesh Gupta
   2. Shri Jitender Mahajan
   3. Smt. Pramila Dhiraj Tokas
   4. Shri Jai Bhagwan
   5. Shri Rituraj Govind
   6. Shri Akhilesh Pati Tripathi
   7. Shri Vishesh Ravi
   8. Shri Surendra Kumar
   9. Shri Ajay Dutt
   10. Shri Mohinder Goel
   11. Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition
   12. Shri Madan Lal
   13. Shri Praveen Kumar

2. 12.05 PM **Papers laid on the Table:**
**Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister** laid copies of the following on the Table of the House:
   1. Annual Accounts Report of Delhi Electricity Regulatory Commission for the Financial Year 2020-21 (Hindi & English Version).
   2. Notification No.F.11(1938)/DERC/2021-22/7263/196 dated 25/04/2022 regarding Delhi Electricity Regulatory Commission (Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Ombudsman) (First Amendment) Regulations, 2022 (Hindi & English Version).

3. 12.05 PM **Consideration and Passing of Bill :**
**Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister** moved that **'The Delhi Goods & Services Tax (Amendment) Bill, 2023"** (Bill No. 01 of 2023) introduced in the House on 17th January, 2023 be taken into consideration and also made a brief statement.
The Bill was considered clause-wise.
Hon'ble Deputy Chief Minister moved that the Bill be passed.
The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

4. 12.09 PM **Short Duration Discussion (Rule-55):**
   I. **Shri Saurabh Bharadwaj, Hon'ble Member** initiated discussion on "*Questionable role of Hon'ble Lt. Governor in election of Mayor after MCD elections, 2022"*.

5. 12.09 PM Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition starting arguing with the Chair for not taking up Notices for discussion in the House given by his Party Members. He along with the Members of Opposition Party displayed samples of water allegedly from Yamuna river being supplied to the residents of Delhi and demanded discussion on pollution in Yamuna river.
Members of Ruling Party protested the remarks and unruly conduct of Members of Opposition Party.
The Chair informed the House that no business other than the business listed for the day will be taken up for discussion.
The Members of Opposition Party entered the well of the House and continued to disrupt the proceedings of the House.

The Chair repeatedly requested the Hon'ble Members of Opposition to resume their seats but they refused to comply with the request of the Chair.
The Chair then named, Shri Abhay Verma, Shri Jitender Mahajan, Shri Ajay Kumar Mahawar, Shri Anil Kumar Bajpai, Shri Om Prakash Sharma and Shri Mohan Singh Bisht. As the Members refused to leave the House voluntarily, they were escorted out of the House by the Marshalls on the directions of the Chair.
Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition alongwith Shri Vijender Gupta walked out in protest.

6. 12.17 PM The Chair directed that the samples of water bottles displayed be sent to Laboratory for quality testing to ascertain the veracity of claims made by Members of Opposition Party.

7. 12.18 PM **Short Duration Discussion (Rule-55) continued :**
**Shri Saurabha Bharadwaj, Hon'ble Member** resumed with his statement.
Also moved the following Resolution with the permission of the House :
*"This House in its sitting dated 18/01/2023 resolves that it is concerned about the unconstitutional interference by Hon'ble Lt. Governor in the functioning of Municipal Corporation of Delhi (MCD) especially conduct of free and fair elections of Mayor, Deputy Mayor and Members of Standing Committee.*
*This House directs the Commissioner of MCD and the Govt of National Capital Territory of Delhi to ensure that elections of Mayor, Deputy Mayor and Standing Committee Members are conducted as per DMC Act and Constitution of India.*
*This House also directs the Commissioner of MCD to ensure that nominated Members in MCD are not allowed to vote in the House as stated in Article 243-R of Constitution and Section 03 of Delhi Municipal Corporation Act."*

*(Shri Vijender Gupta, Hon'ble Member of Opposition Party resumed his seat.)*

The following Members also expressed their views :

1. Shri Kuldeep Kumar
2. Shri Akhilesh Pati Tripathi
3. Shri Durgesh Kumar
4. Shri Haji Yunus
5. Shri Abdul Rehman
6. Shri Ajay Dutt
7. Shri Praveen Kumar
8. Shri Imran Hussain, Hon'ble Minister of Food & Supplies
9. Shri Vijender Gupta
   *Hon'ble Members of Ruling Party objected to the use of unparliamentary language by Shri Vijender Gupta, Hon'ble Member against Hon'ble Deputy Chief Minister and demanded his apology.*
   *The Chair also advised Shri Vijender Gupta, Hon'ble Member to tender an apology for use of unparliamentary language.*
   *Shri Vijender Gupta, Hon'ble Member subsequently withdrew his remarks, expressed regret and assured the House that he held Hon'ble Deputy Chief Minister in high esteem and his deepest regards.*
10. Shri Amanatullah Khan

**Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister** replied to the discussion.
The Resolution was put to vote and adopted by voice vote.

8. 02.13 PM **The Chair adjourned the House up to 3.00 PM.**

9. 03.09 PM **House reassembled.**
**Hon'ble Speaker in-Chair.**

10. 03.09 PM **Presentation of Report:**
**Shri Akhilesh Pati Tripathi** presented the **First Interim Report of Committee on Petitions** and also made a brief statement.
The following Members of the Committee also expressed their views.
1. Shri Saurabh Bharadwaj
2. Shri Rajesh Gupta
3. Shri Kuldeep Kumar

11. 03.51 PM The Members of Ruling Party came into the well and raised slogans demanding action against the Chief Secretary and other officers for misleading and attempting to conceal facts from the Committee on Petitions.
Uproar in the House ensued.

12. 03.53 PM **The Chair adjourned the House upto 4.15 PM.**

13. 04.26 PM **House reassembled.**
**Hon'ble Speaker in-Chair.**

14. 04.27 PM The Members of Ruling Party again entered the well of the House and raised slogans.
The Chair repeatedly requested the Members to resume their seats. However, the Members did not leave the well of the House and continued shouting slogans.
After repeated requests by the Chair, the Members resumed their seats.

15. 4.29 PM The Chair, taking the sense of the House, extended the sitting of the House for 19.01.2023.

16. 04.29 PM **The Chair adjourned the House upto 11.00 AM on Thursday, 19 January 2023.**

**Delhi** **Raj Kumar**
**18 January, 2023** **Secretary**

# विधान सभा
# राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
## समाचार भाग–1
## (कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)
## बुधवार, 18 जनवरी, 2023 / पौष 28, 1944 (शक)

**संख्या–34**

**11.06 बजे** **श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

1. 11.07 बजे **विशेष उल्लेख (नियम–280) :**

निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम–280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये :–

1. श्री राजेश गुप्ता
2. श्री जितेंद्र महाजन
3. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
4. श्री जय भगवान
5. श्री ऋतुराज गोविंद
6. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
7. श्री विशेष रवि
8. श्री सुरेंद्र कुमार
9. श्री अजय दत्त
10. श्री महेंद्र गोयल
11. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष
12. श्री मदन लाल
13. श्री प्रवीण कुमार

2. 12.05 बजे **सदन पटल पर प्रस्तुत कागज़ात:**

**श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्य मंत्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत कीं :

1. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग का वित्त वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक लेखा प्रतिवेदन (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां)
2. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायत के निवारण के लिए मंच और ओम्बुड्समैन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022 से संबंधित अधिसूचना संख्या एफ.11(1938)/ डीईआरसी/2021–22/7263/196 दिनांक 25/04/2022 (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां)

3. 12.05 बजे **विधेयक पर विचार तथा पारित करना :**

**श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री** ने प्रस्ताव किया कि दिनांक 17 जनवरी, 2023 को सदन में पुरःस्थापित **"दिल्ली माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023"** (वर्ष 2023 का विधेयक संख्या–01) पर विचार किया जाये और उन्होंने संक्षिप्त वक्तव्य भी दिया।

विधेयक पर खण्डवार विचार हुआ।

माननीय उप मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि विधेयक को पारित किया जाये।

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनि मत से स्वीकार हुआ।

4. 12.09 बजे **अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) :**

I. **श्री सौरभ भारद्वाज, माननीय सदस्य** ने *"दिल्ली नगर निगम चुनाव, 2022 के बाद मेयर के चुनाव में माननीय उप राज्यपाल की संदिग्ध भूमिका"* पर चर्चा प्रारम्भ की ।

5. 12.09 बजे श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं को सदन में चर्चा के लिए न लिये जाने के संबंध में अध्यक्ष महोदय के साथ तर्क–वितर्क प्रारम्भ किया। उन्होंने प्रतिपक्ष के सदस्यों के साथ दिल्ली के

निवासियों को आपूर्ति किये जा रहे कथित रूप से यमुना नदी के गंदे पानी के सैम्पल प्रदर्शित किये और यमुना नदी में प्रदूषण पर चर्चा की मांग करने लगे।

सत्ता पक्ष के सदस्यों ने प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों और अभद्र आचरण का विरोध किया।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि आज सूचीबद्ध कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य को चर्चा के लिए नहीं लिया जायेगा।

प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सदन के वैल में आ गये और सदन की कार्यवाही को बाधित करते रहे।

अध्यक्ष महोदय ने प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आसन ग्रहण करने का लगातार अनुरोध किया लेकिन उन्होंने अध्यक्ष महोदय के अनुरोध की अनुपालना करने से मना कर दिया।

तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने श्री अभय वर्मा, श्री जितेंद्र महाजन, श्री अजय कुमार महावर, श्री अनिल कुमार बाजपेयी, श्री ओम प्रकाश शर्मा तथा श्री मोहन सिंह बिष्ट को इंगित किया। चूंकि सदस्यों ने अपने आप सदन से बाहर जाने से मना कर दिया, उन्हें अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार मार्शलों द्वारा सदन से बाहर ले जाया गया।

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने श्री विजेंद्र गुप्ता सहित विरोधस्वरूप बहिर्गमन किया।

6. 12.17 बजे अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा किये गये दावों की सच्चाई का पता लगाने के लिए, सदन में प्रदर्शित की गई पानी की बोतलों के सैम्पल को गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा जाये।

7. 12.18 बजे **अल्पकालिक चर्चा (नियम–55) जारी :**

**श्री सौरभ भारद्वाज, माननीय सदस्य** ने अपना वक्तव्य पुनः प्रारम्भ किया।

उन्होंने सदन की अनुमति से निम्नलिखित संकल्प भी प्रस्तुत किया :–

*"यह सदन दिनांक 18.01.2023 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प करता है कि यह माननीय उप राज्यपाल द्वारा दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कामकाज में, विशेष रूप से मेयर, डिप्टी मेयर तथा स्थायी समिति के सदस्यों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संचालन में असंवैधानिक हस्तक्षेप के संबंध में चिंतित है।*

*यह सदन दिल्ली नगर निगम के आयुक्त और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के चुनाव दिल्ली नगर निगम अधिनियम और भारत के संविधान के अनुसार आयोजित किए जाएं।*

*यह सदन दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश देता है कि दिल्ली नगर निगम में मनोनीत सदस्यों को संविधान के अनुच्छेद 243–आर और दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा–03 के तहत मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाये।"*

*(श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया।)*

निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये :–

1. श्री कुलदीप कुमार
2. श्री अखिलेशपति त्रिपाठी
3. श्री दुर्गेश कुमार
4. श्री हाजी युनूस
5. श्री अब्दुल रहमान
6. श्री अजय दत्त
7. श्री प्रवीण कुमार

8. श्री इमरान हुसैन, माननीय खाद्य एवं संभरण मंत्री

9. श्री विजेंद्र गुप्ता

*सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय सदस्य द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री के विरूद्ध प्रयुक्त असंसदीय भाषा के प्रयोग पर आपत्ति की और उनसे क्षमा याचना करने की मांग की।*

*अध्यक्ष महोदय ने भी श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय सदस्य को असंसदीय भाषा का प्रयोग करने के लिए क्षमा याचना करने का परामर्श दिया।*

*तत्पश्चात् श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय सदस्य ने अपने कथन को वापस लेते हुए खेद व्यक्त किया और सदन को आश्वस्त किया कि उनके मन में माननीय उप मुख्यमंत्री के प्रति अत्यधिक सम्मान और गहन आदर है।*

10. श्री अमानतुल्ला खां

**श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री** ने चर्चा का उत्तर दिया।
संकल्प मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

8. 02.13 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित किया।**

9. 03.09 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**
**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**

10. 03.09 बजे **प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण :**
**श्री अखिलेशपति त्रिपाठी, माननीय सदस्य ने याचिका समिति का प्रथम अंतरिम प्रतिवेदन** प्रस्तुत किया और संक्षिप्त वक्तव्य भी दिया।
समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये :–

1. श्री सौरभ भारद्वाज
2. श्री राजेश गुप्ता
3. श्री कुलदीप कुमार

11. 03.51 बजे सत्ता पक्ष के सदस्य सदन के वैल में आ गये और याचिका समिति को गुमराह करने और तथ्य छिपाने का प्रयास करने के लिए मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे।
सदन में शोर–शराबा प्रारम्भ हो गया।

12. 03.53 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन अपराह्न 4.15 बजे तक के लिए स्थगित किया।**

13. 04.26 बजे **सदन पुनः समवेत हुआ।**
**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।**

14. 04.27 बजे सत्ता पक्ष के सदस्य पुनः सदन के वैल में आ गये और नारेबाजी करने लगे।
अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों से आसन ग्रहण करने का लगातार अनुरोध किया। तथापि, सदस्य सदन के वैल से नहीं गये और नारेबाजी करते रहे।
अध्यक्ष महोदय द्वारा बार–बार अनुरोध करने के बाद सदस्य अपने आसनों पर वापस गये।

15. 04.29 बजे अध्यक्ष महोदय ने सदन की भावनाओं को समझते हुए, सदन की बैठक 19.01.2023 तक बढ़ा दी।

16. 04.29 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही वीरवार, दिनांक 19 जनवरी, 2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की।**

दिल्ली
**18 जनवरी, 2023**

**राज कुमार**
**सचिव**